न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—406/2016/223 (2016/00406)

1. पप्पू खां पुत्र स्व0 रामसिंह,
2. भंवर पुत्र स्व0 रामसिंह,
3. पन्ना पुत्र स्व0 रामसिंह,

समस्त जाति चीता, निवासी राजोसी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 01.06.2016 अंतर्गत वाद संख्या 33/2016.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 सपठित धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 624 मिन रकबा 19 बिस्वा जिसके वर्किंग खसरा नंबर 859 रकबा 19 बिस्वा के आधारभूत खसरा नंबर 886 रकबा 0.15 है0 बने है, पर अपीलांट के पिता स्व0 रामसिंह पुत्र हालमसिंह, जाति चीता काबिज काश्त थे । अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद निर्बाध रूप से 50 वर्षो से अधिक समय से अपीलांट काबिज काश्त चलो आ रहा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को राज0काश्त0अधि0 की धारा 15—ए के तहत अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलाधीन

आराजियात अपीलांट के पिता स्व0 रामसिंह के कब्जे काश्त की आराजियात थी जो कि खसरा परिवर्तनशील संवत् 2023 में दर्ज इंद्राज से स्पष्ट है जिसमें अपीलांट के पिता रामसिंह पुत्र हालमसिंह की काश्त दर्ज है तथा कॉलम संख्या 15 के विशेष विवरण में भू–संशोधन में खातेदारी दर्ज किया जाना भी अंकित है । खसरा परिवर्तनशील में अंकित काश्त के इंद्राज से विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा फसल काश्त किया जाना साबित था । अपीलांट विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी थे परन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने अपने जवाबदावे में अपीलांट का कब्जा काश्त स्वीकार किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य की आवश्यकता नही है जबकि न्याया0 के समक्ष यदि कोई विरोधाभाषी तथ्य आते है तो ऐसी स्थिति में उनका निर्णय बाद साक्ष्य ही किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को वाद में तारीख पेशी दिनांक 27.2.2016 प्रदान की गई थी किन्तु इससे पूर्व ही उक्त प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में दिनांक 1.6.2016 को रखकर निर्णित कर दिया । प्रकरण को न्याय आपके द्वार 2016 में रखे जाने की अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। अधी0न्याया0 ने अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण को अपीलांट को बिना सूचित किये कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी जब अपीलांट नियत पेशी दिनांक 27.7.2016 को अधी0न्याया0 में हाजिर हुआ तब हुई । तत्पश्चात् दिनांक 28.7.2016 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी सिवायचक होकर चारागाह आराजी है जिस पर कब्जे के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तारीख पेशी दिनांक 27.7.2016 नियत की गई थी किन्तु नियत दिनांक से पूर्व ही अधी0न्याया0 ने प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में दिनांक 1.6. 2016 को रखकर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये वाद को निर्णित किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में दिनाक 4.5.2016 को आगामी पेशी दिनांक 27.7.2016 नियत की गई थी किन्तु नियत दिनांक 27.7.2016 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 1.6.2016 को न्याय आपके द्वार 2016 में रखकर अधी0न्याया0 ने वाद को सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया है जबकि उक्त दिनांक को प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया था जिसकी प्रति अपीलांट/वादी को नहीं दी गई थी । पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है जिससे यह साबित हो कि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखे जाने हेतु अपीलांट/वादी को कोई नोटिस/सम्मन जारी किया गया हो । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6. 2016 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6. 2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर